

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 अप्रैल 2014—वैशाख 8, शक 1936

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2014

#### शुद्धि पत्र

क्र. एफ-2-1-2014-बाईस-पं.-2.—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 43 के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं, मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में संशोधन करती है, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, प्ररूप-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप स्थापित किया जाएं, अर्थात् :—

पंचायत निर्वाचन

#### “प्ररूप-1”

[नियम 9 (1) देखिए]

मतदाता सूची

ग्राम पंचायत का नाम . . . . . खण्ड . . . . . जिला . . . . . वार्ड क्रमांक . . . . .

अनुक्रमांक	गृह क्रमांक (यदि कोई हो)	मतदाता का नाम	पिता/पति का नाम	पुरुष/स्त्री/अन्य	आयु	मतदाता का फोटो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

अनुपूरक मतदाता सूची  
वार्ड क्रमांक . . . . .

## ( 1 ) परिवर्धनों की सूची

अनुक्रमांक (1)	गृह क्रमांक (यदि कोई हो) (2)	मतदाता का नाम (3)	पिता/पति का नाम (4)	पुरुष/स्त्री/अन्य (5)	आयु (6)	मतदाता का फोटो (7)
-------------------	------------------------------------	-------------------------	---------------------------	--------------------------	------------	--------------------------

## ( 2 ) संशोधनों की सूची

मुख्य सूची का अनुक्रमांक (1)	मतदाता का नाम (2)	विद्यमान प्रविष्टि (जिसे संशोधित किया जाना है) (3)	संशोधित प्रविष्टि (4)
------------------------------------	----------------------	--	--------------------------

## ( 3 ) विलोपनों की सूची

मुख्य सूची का अनुक्रमांक (1)	मतदाता का नाम (2)
---------------------------------	----------------------

.....  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी.

## CORRIGENDUM

No. F-2-1-2014-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 43 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby make the following amendments in Madhya Pradesh Panchayat Nirvachan Niyam, 1995, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act, namely:—

## AMENDMENT

In the said rules, for Form-1, the following Form shall be substituted, namely:—

PANCHAYA ELECTION

“FORM-1  
[See rule 9 (1)]  
Voters List

Name of Gram Panchayat . . . . . Block . . . . . District . . . . . Ward No. . . . .

Serial Number (1)	House No. (if any) (2)	Name of Voter (3)	Name of Father/Husband (4)	Male/Female/Other (5)	Age (6)	Photo of Voter (7)
-------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------	------------	--------------------------

.....  
Registration Officer.

SUPPLEMENTARY VOTER'S LIST

Ward No. . . . .

(1) List of Additions

Serial Number (1)	House No. (if any) (2)	Name of Voter (3)	Name/ Father/Husband (4)	Male/Female/Other (5)	Age (6)	Photo of Voter (7)
----------------------	------------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------	------------	-----------------------

(2) List of Corrections

Serial Number of Main List (1)	Name of Voter (2)	Existing entry (which is to be corrected) (3)	Corrected entry (4)
-----------------------------------	----------------------	---	------------------------

(3) List of Deletions

Serial Number of Main List (1)	Name of Voter (2)
-----------------------------------	----------------------

.....  
Registration Officer.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.